

## प्रेस नोट दिनांक 24.07.2021

### थाना बडगांव सहारनपुर पुलिस द्वारा क्षेत्र के ग्राम शिमलाना में रजत पुत्र महेन्द्र के साथ दुर्व्यवहार कर मारपीट करने वाले 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:-

अवगत कराना है कि दिनांक 18.07.2021 को थाना बडगांव के ग्राम शिमलाना के रहने वाले रजत पुत्र महेन्द्र निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव सहारनपुर के साथ गांव के ही कुछ लडको द्वारा दुर्व्यवहार कर मारपीट की गई थी। जिसके सम्बन्ध में वादी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर दिनांक 22.07.2021 को मु0अ0सं0 123/21 धारा 147,148,323,504,506 भादवि व अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति नृशंस्ता 3(1)(द) निवारण अधिनियम एवं अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति नृशंस्ता 3(1)(ध) निवारण अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का संज्ञान लेते हुए थाना बडगांव पुलिस को अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था।

उक्त के क्रम में आज दिनांक 24.07.2021 को पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के कुशल नेतृत्व में थाना बडगांव पुलिस द्वारा सर्विस रोड मानव केन्द्र से समय 12:30 बजे अभि0 1-नीरज राणा पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव सहारनपुर 2-मोकम राणा उर्फ कुलदीप पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव सहारनपुर 3-राजेन्द्र नाई पुत्र गोपाल नाई निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव सहारनपुर एवं सर्विस रोड चिराऊ मोड से समय 14:30 बजे अभि0 4-संदीप राणा पुत्र माधेराम निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव सहारनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

#### गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1-नीरज राणा पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव सहारनपुर।
- 2-मोकम राणा उर्फ कुलदीप पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव सहारनपुर
- 3-राजेन्द्र नाई पुत्र गोपाल नाई निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव सहारनपुर
- 4-संदीप राणा पुत्र माधेराम निवासी ग्राम शिमलाना थाना बडगांव सहारनपुर

#### गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

- 1- प्रभारी निरीक्षक श्री मुकेश कुमार थाना बडगांव, सहारनपुर।
- 2- उ0नि0 श्री पवन कुमार थाना बडगांव, सहारनपुर।
- 3- उ0नि0 श्री बालकिशन थाना बडगांव, सहारनपुर।
- 4- कां0 2112 मनोज कुमार थाना बडगांव, सहारनपुर।
- 5- कां0 321 डिम्पल थाना बडगांव, सहारनपुर।
- 6- कां0 2301 मोहित थाना बडगांव, सहारनपुर।

## प्रेस नोट दिनांक 24.07.2021

### थाना गंगोह सहारनपुर पुलिस द्वारा लम्बे समय से बांछित चल रहे 25 हजार के ईनामी अभियुक्त विशाल उर्फ धुन्ध को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सहारनपुर द्वारा निर्गत आदेशो निर्देशो के अनुपालन मे तथा क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे संदिग्ध व्यक्ति/बांछितो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे चैकिंग अभियान के अन्तर्गत श्री भानुप्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक कोतवाली गंगोह जिला सहारनपुर के कुशल नेतृत्व मे थाना गंगोह पुलिस द्वारा थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर के मु0अ0सं0 176/11 धारा 396/412 आईपीसी डकैती के मुकदमे मे लम्बे समय से बांछित चल रहे 25 हजार के ईनामी **अभियुक्त विशाल उर्फ धुन्ध पुत्र अन्धा फराक निवासी हुसैनपुर कला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर** को दिनांक 23.7.2021 मे अवैध तमंचा मय 02 जिन्दा कारतूस सहित हुसैनपुर को जाने वाले रास्ते आम का बाग वहद ग्राम हुसैनपुर थाना गंगोह जनपद सहारनपुर से समय 16.35 बजे गिरफ्तार किया गया, जिसके सम्बन्ध मे थाना गंगोह पर मु0अ0सं0 351/21 धारा 307 आईपीसी व मु0अ0सं0 352/21 धारा 3/25A. Act पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेश किया जा रहा है।

#### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

(1) अभियुक्त विशाल उर्फ धुन्ध पुत्र अन्धा फराक निवासी हुसैनपुर कला थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

#### आपराधिक इतिहास-

- (1) मु0अ0सं0 176/2011 धारा 396/412 आईपीसी थाना जनकपुरी जनपद सहारनपुर
- (2) मु0अ0सं0 351/21 धारा 307 आईपीसी थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
- (3) मु0अ0सं0 352/21 धारा 3/25 A.Act थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

#### बरामदगी का विवरण-

1. एक तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 01 खोखा कारतूस

#### गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री भानु प्रताप सिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री संदीप, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
3. उ0नि0 श्री जगपाल सिंह, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 1128 अजय राठी, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
4. का0 947 शान्तनु, थाना गंगोह जिला सहारनपुर
5. का0 145 अंकुर, थाना गंगोह जिला सहारनपुर

**नोट:- अभियुक्त विशाल उर्फ धुन्ध पर जनपद सहारनपुर में 25 हजार रुपये का ईनाम घोषित था।**

## प्रेस विज्ञप्ति

### (सहारनपुर पुलिस की अभियुक्त के विरुद्ध बडी कार्यवाही)

थाना देवबन्द पर पंजीकृत मु0अ0सं0 202/21 के अभियुक्त तनवीर के विरुद्ध एडवाइजरी बोर्ड लखनऊ के द्वारा एनएसए हुआ अनुमोदित:-

अवगत कराना है कि दिनांक 30.03.2021 को वादी श्री फखरूल हसन द्वारा अपनी 10 वर्षीय पुत्री के गुम होने के सम्बन्ध में थाना देवबन्द पर लिखित तहरीर दी गई थी जिसमें मु0अ0सं0 202/21 पंजीकृत किया गया था। पुलिस द्वारा की गई जांच पडताल में अभि0 तनवीर पुत्र कल्लन निवासी छोटी खानकाह देवबन्द सहारनपुर का नाम प्रकाश में आया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु प्रभारी थाना देवबन्द को निर्देशित किया गया था।

पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी देवबन्द के कुशल नेतृत्व में थाना देवबन्द पुलिस द्वारा अभियुक्त को गिरफ्तार कर की गई पूछताछ में जुर्म कबूल करते हुए शव को साखन नहर से बरामद कराया गया था। जिसके सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर अभियुक्त को जेल भेजा गया था।

उक्त के क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के दिशा निर्देशो के अनुपालन मे क्षेत्राधिकारी देवबन्द, थाना प्रभारी देवबन्द, एवं तत्कालीन एसएसआई देवबन्द गठित टीम के द्वारा फाईल तैयार की गई जिसमें दिनांक 20.05.2021 को जिला मजिस्ट्रेट सहारनपुर द्वारा अभि0 तनवीर पुत्र कल्लन निवासी छोटी खानकाह देवबन्द सहारनपुर को अन्तर्गत धारा 2/3 एनएसए निरुद्ध कर पत्रावली को अनुमोदन हेतु उ0प्र0 शासन लखनऊ प्रेषित किया गया था, जिसमें एडवाइजरी बोर्ड लखनऊ के द्वारा अभि0 तनवीर उपरोक्त को धारा 2/3 एनएसए में निरुद्ध करने के लिए अनुमोदित कर दिया गया है।